06/5/2024

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीपक्ष उपस्थित नहीं आये हैं। तीन-तीन आवाजें लगवाने पर भी हाजिर नहीं आने पर पत्रावली अंतर्गत O-9, R-3 CPC के तहत अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Singh
Date: 2024.10.30 12:32:38 IST
Reason: SelfAttested